



प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

आवंटन पत्र

पत्रांक: /जो0अधि0/प्र0वि0प्र0/2021-22

दिनांक:

Subject: Regarding Allotment Letter of a Property in Gokul Sector, Kalindipuram Under Pardhanmantri Awas Yojna.

विषय: सम्पत्ति आवंटन के संबंध में।

Mode of Allotment: Lottery

सेवा में,

श्री/सुश्री/श्रीमती

पिता/पति

महोदय/महोदया,

With Reference to above cited subject, I have been directed to inform you that a Property has been allotted under and your particulars are given

उपरोक्त विषयक योजना के अंतर्गत निम्नानुसार संपत्ति का आवंटन आपको किया जाता है।

Property ID:		Property No:	
Category		Property Code	
Scheme		Floor	
Sector		Sub Subject	
Property Type		Section	
Registration Amt		Building Type	
Plinth Area		Property Cost (To be paid by Allottee)	
Handicapped		Senior Citizen	

Payment Terms:

क्र0सं0	देय का प्रकार	धनराशि (रू0)	दिनांक	मसिक किश्तों की संख्या	ब्याज दर	दंड ब्याज
1	अग्रिम धनराशि			0	0	13%
2	मसिक किश्त			180	10%	13%

नियम व शर्तें:

- उपरोक्त पेमेन्ट शेड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में धनराशि जमा की जा सकती है। किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 13 प्रतिशत धनराशि दण्ड ब्याज के रूप में देय होगी। उपरोक्त देय धनराशि किसी भी कार्य दिवस में प्राधिकरण कार्यालय से सम्पर्क कर अथवा खाता सं0 50100238498052 (आई.एफ.एस.सी.कोड HDFC0000226) एच0डी0एफ0सी0 बैंक, सिविल लाइन्स, प्रयागराज में जमा की जा सकती है।
- नियमानुसार जी0एस0टी0/अन्य कर की धनराशि अतिरिक्त देय होगी, जो कि कब्जे के समय लागू दरों पर होगी।

...../2

3. भवन के हस्तान्तरण के समय रु 4500.00 अनुरक्षण एवं रु0 4500.00 कारपस फण्ड हेतु जमा करने होंगे।
4. यदि आवंटी द्वारा आवंटित भवन का समर्पण किया जाता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण धनराशि पर नियमानुसार 20 प्रतिशत धनराशि कटौती उपरान्त शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
5. यदि आवंटी द्वारा भुगतान विवरण के अनुसार लगातार तीन किश्तें अदा नहीं की जाती है, तो भवन का आवंटन निरस्त करते हुये पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत धनराशि कटौती कर अवशेष समस्त जमा धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. भवन का निर्माण तथा समस्त किश्तों की अदायगी के उपरान्त 90 वर्ष की लीज-डीड एवं सेल-डीड आवंटी के व्यय पर निष्पादित करायी जायेगी।
7. भवन के मद में देय अग्रिम धनराशि की अदायगी के उपरान्त पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित कराते हुये अथवा निर्धारित सम्पूर्ण विक्रय मूल्य जमा किये जाने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार निर्धारित नानं जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत विलेख अपने पक्ष में निष्पादित कराते हुए भवन का कब्जा प्राधिकरण द्वारा आवंटी के उपस्थित होने पर ही दिया जायेगा। अनुबन्ध/विलेख निष्पादन से सम्बन्धित समस्त देयको का भुगतान आदि आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
8. आवंटी को विद्युत कनेक्शन स्वयं अपने व्यय पर प्राप्त करना होगा तथा विद्युत संयोजन एवं बिल आदि का भुगतान आवंटी द्वारा स्वयं सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
9. यह आवंटन पत्र आवंटी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र तथा जिला नगरीय विकास अभिकरण, प्रयागराज नगर (डूडा)/निदेशक सूडा द्वारा किये गये सत्यापन के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आवंटी द्वारा गलत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाए प्रस्तुत की गयी थी अथवा डूडा/सूडा द्वारा आपकी पात्रता के सम्बन्ध में प्रतिकूल निर्णय लिये जाने की स्थिति में यह आवंटन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं आवंटन धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यह गलत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र/सूचना देना अपराधिक कृत्य में आएगा तथा ऐसे पाये जाने पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।
10. योजना के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित किये जाने के उपरान्त समस्त करों का भुगतान आवंटी द्वारा स्वयं करना होगा।
11. यह आवंटन पत्र इस आधार पर निर्गत किया जा रहा कि :-
 1. आवंटी या उसके परिवार के नाम भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है।
 2. आवंटी द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी आवासीय योजना में लाभ नहीं लिया गया है।
 3. आवंटी द्वारा कभी भी भवन को विक्रय/पट्टा/हस्तान्तरण/किराये पर नहीं दिया जायेगा
 4. आवंटी द्वारा निर्धारित तिथि के एक माह के अन्दर भवन का कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा। अन्यथा नियमानुसार रु0 200.00 प्रतिमाह की दर से चौकीदार शुल्क देय होगा।
12. प्राधिकरण द्वारा योजना के भवन के प्रथम कब्जे की तिथि से अधिकतम 3 वर्षों तक या आर0डब्लू0ए0 का गठन हो जाने तक (जो भी पहले हो) योजना का रख रखाव किया जायेगा। 3 वर्षों तक या आर0डब्लू0ए0 का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात् कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियेशन को हस्तगत कर दी जायेगी।
13. अन्य नियम व शर्तें पंजीकरण विवरण पुस्तिका के अनुसार होंगी।
14. किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
15. विवाद की स्थिति में प्रयागराज स्थित न्यायालय के ही क्षेत्राधीन होगा।

भवदीय,

जोनल अधिकारी,
प्रयागराज विकास प्राधिकरण,
प्रयागराज।